



## प्रेस नोट

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाये गये अभियान के अंतर्गत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी खागा महोदय के कुशल नेतृत्व व निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियान के अंतर्गत दिनांक 27/02/21 को क्षेत्र भ्रमण व गस्त के दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना सु0घोष मय टीम उ0नि0 श्री दुर्विजय सिंह मय हमराही का0 राकेश कुमार का0 संजीव कुमार द्वारा सघन चेकिंग के दौरान ऐरायां सादात मोड़ वहद ग्राम ऐरायां सादात पर समय करीब रात्रि 21.15 बजे अभियुक्त पप्पू उर्फ निहाल अहमद पुत्र कमाल नि0 ग्राम ऐरायां सादात थाना सु0घोष फतेहपुर को मय चार अदद देशी बम जिन्दा के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर इसके विरुद्ध मु0अ0सं0 31/2021 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। पूर्व में भी वाहन चोरी, अवैध शस्त्र रखने तथा मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

पप्पू उर्फ निहाल अहमद उम्र 27 वर्ष पुत्र कमाल नि0 ग्राम ऐरायां सादात थाना सु0घोष फतेहपुर  
बरामदगी

चार देशी बम जिन्दा बरामद हुए जिन्हे निष्क्रिय किया गया।

अपराधिक इतिहास-

कल्लू उर्फ साहब अली पुत्र जलीलउद्दीन नि0 ऐरायां सादात थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर

1- मु0अ0सं0 74/17 धारा 8/22 NDPS ACT थाना जी.आर.पी फतेहपुर

2- मु0अ0सं0 101/2017 धारा 379/411 थाना खागा फतेहपुर

3- मु0अ0सं0 102/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खागा फतेहपुर

4- मु0अ0सं0 75/2017 धारा 379/411 /413 थाना सु0घोष जनपद फतेहपुर

5- मु0अ0सं0 31/2021 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली टीम

प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द कुमार गौतम, उ0नि0 दुर्विजय सिंह, का0 राकेश कुमार, का0 संजीव कुमार थाना सु0घोष जनपद फतेहपुर।

प्रभारी निरीक्षक  
थाना सु0घोष फतेहपुर